

प्रारूप-50

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में पिलखी नैल बाँसला वनचुरी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई- 6.100 कि०मी०)

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी.....✓
2. हरियाली का घनत्व.....0.2
3. एन०पी०वी० की दर प्रति हे०.....6,57,680/-
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.....2.89 हे०
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि.....18,98,730/-

वन क्षेत्राधिकारी
पौखाल रेंज
टिहरी वन प्रभाग

ह०/-
वन क्षेत्राधिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित

पर्यावरण वन क्षेत्राधिकारी
प्रभागीय वन क्षेत्राधिकारी
नई टिहरी

समूह सादर ज्ञापन
3/4
30/60

प्रारूप-53

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में पिलखी नैल बौंसला वनचुरी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई- 6.100 कि०मी०)

(वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में लागू)
लीज अवधि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि स्थाई वर्षों की लीज पर ली जानी प्रस्तावित है।

प्रतिहस्ताक्षरित

ह०/-
प्रभारी वन अधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

Cawr
प्रभारी वन अधिकारी
प्रयोक्ता: एजेन्सी वि०
जनसाली टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में पिलखी नैल बौंसला वनचुरी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई- 6.100 कि०मी०)

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

Car
हस्तान्तरण प्रमाणित
प्रयोक्ता एजेन्सी वि०
वनसाली टिहरी गढ़वाल

प्रतिहस्ताक्षरित

ह०/
प्रमाणित वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी